न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 254/2012

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. नाथुसिंह पुत्र जयसिंह 2. पूरणसिंह पुत्र जयसिंह 3. ओमकंवर बेवा जयसिंह जातियान-राजपूत, निवासीगण-मुण्डावा तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 29.11.2012**

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 23/06/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत् बेदखली पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-मुण्डावा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 93 रकबा 21-15 बीघा किस्म बा०अ० लगान 13.59 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 3600 वर्गफुट किस्म बा०अ० पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-मुण्डावा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 93 रकबा 21-15 बीघा किस्म बा०अ० लगान 13.59 रुपये की आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21.11.2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति० को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज०दा० तलब किया गया। प्रतिवादी का नोटिस अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ। पटवारी हल्का-घोड़ावड़ की फर्द मौका का अवलोकन किया गया। मौतबिरान के सामने फर्द मौका बनाई गई, जिसमें ख.नं. 93 रकबा 3600 वर्गफुट में मोबाईल टावर लगाना प्रतीत होता हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-घोड़ावड़ में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सरहद मौजा-मुण्डावा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 93 रकबा 3600 वर्गफुट किस्म बा०अ० में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–मुण्डावा, तहसील–जैतारण में ख.नं. 93 रकबा 3600 वर्गफुट किस्म बा0अ0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–धीड़ावड़ पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर, तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. नाथुसिंह पुत्र जयसिंह 2. पूरणसिंह पुत्र जयसिंह 3. ओमकंवर बेवा जयसिंह जातियान–राजपूत, निवासीगण–मुण्डावा तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु०न० :रा०वा० स०: 254/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–मुण्डावा, तहसील–जैतारण में ख.नं. 93 रकबा 3600 वर्गफुट किस्म बा०अ० जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner